राष्ट्रीय संस्करण

CopyRight - Jagran.com

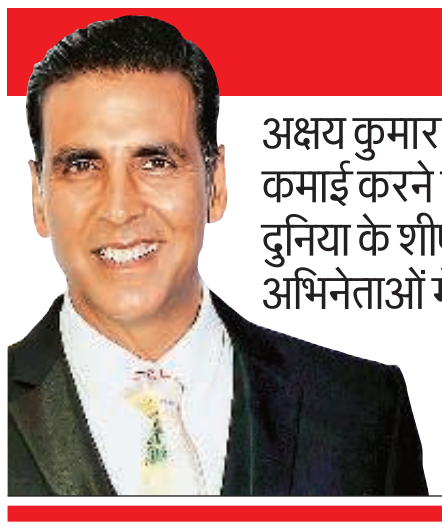

अक्षय कुमार सर्वाधिक कमाई करने वाले दुनिया के शीर्ष अभिनेताओं में शामिल

>> 16

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 74

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 23 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

BYJU'S The Learning App

IAS 2020

IAS 2020 के लिए

निःशुल्क कार्यशाला

DATE : 25TH AUGUST 2019 (SUNDAY) | TIME : 4:30 PM

आधुनिक भारत के साथ बैच प्रारम्भ

26th AUGUST 2019

5.00 PM TO 7.30 PM

DEMO CLASS AVAILABLE FROM 26TH AUGUST 2019

5.00 PM TO 7.30 PM

कार्यालय का पता : Shop No. 15, Ground Floor, Vardhman Central Mall, Nehru Vihar, Mukherjee Nagar, Delhi-54

निःशुल्क पंजीकरण के लिए अपना नाम SMS/WHATSAPP करें- 9205881869

चिदंबरम चार दिन की सीबीआइ रिमांड पर

बढ़ी मुश्किलें ▶ आइएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री को नहीं मिली राहत, धरी रह गईं सारी दलीलें

सीबीआइ ने मांगी थी पांच दिन की रिमांड, रोज आधे घंटे के लिए मिल सकेंगे परिजन व वकील

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आइएनएक्स मीडिया केस में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को गुरुवार को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने 26 अगस्त तक के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की रिमांड पर भेज दिया। बुधवार देर रात गिरफ्तार करने के बाद सीबीआइ ने भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच उन्हें विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार के समक्ष पेश किया। सीबीआइ ने अदालत से पांच दिन का रिमांड मांगा। खचाखच भरी अदालत ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि तथ्यों को देखने के बाद कि चिदंबरम को चार दिन की सीबीआइ रिमांड पर भेजना उचित है। इस दौरान परिजन और वकील उनसे रोज 30 मिनट के लिए मुलाकात कर सकेंगे। हर 48 घंटे बाद उनके स्वास्थ्य की जांच की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि उनकी व्यक्तिगत गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचे।

सीबीआइ की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तो चिदंबरम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच लंबी बहस हुई। तुषार मेहता ने कहा कि मनी लांड्रिंग का यह एक गंभीर और ऐतिहासिक मामला है। अन्य लोगों के साथ चिदंबरम भी आपराधिक साजिश में शामिल थे, लेकिन वह जांच एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहे हैं। वह सभी दस्तावेज मुहैया नहीं कर रहे। गंभीर अपराध में फंसने के बावजूद वह कपटपूर्ण तरीके से जवाब दे रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 अगस्त को सुनाए फैसले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए गंभीर टिप्पणी की थी। ऐसे में उनकी पांच दिन की रिमांड जरूरी है। दस्तावेजों से मिलान और अन्य आरोपितों से आमना-सामना कराया जाना है। कुछ सवाल तभी पूछे जा सकते हैं जब आरोपित सुरक्षित छाते तले न हो। चिदंबरम ने भी कुछ बोलना चाहा तो तुषार ने विरोध किया, लेकिन अदालत ने इसकी अनुमति दी तो वह सिर्फ दो ही बात बोले।

पत्नी और बेटा भी रहे मौजूद : पूरी सुनवाई के दौरान चिदंबरम की पत्नी नलिनी, बेटे कार्ति चिदंबरम के अलावा दक्षिण भारत के कई नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक भी मौजूद रहे। अदालत के बाहर मुकुल वासनिक ने कहा कि यह राजनीतिक बदले का मामला है और हमे अदालत पर पूरा भरोसा है।

आइएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को गुरुवार को विशेष अदालत में पेश करने के लिए ले जाते सीबीआइ के अधिकारी। प्रेट्र

एजेंसी को यही नहीं पता है कि उन्हें सवाल क्या पूछना है : सिब्बल

कपिल सिब्बल ने कहा, इस मामले में चिदंबरम के पुत्र कार्ति व अन्य आरोपितों को जमानत मिल चुकी है। पहली गिरफ्तारी कार्ति के चार्टर्ड अकाउंटेंट भास्कर रमन की हुई थी, उसके बाद कार्ति को पकड़ा गया। आरोपित पीटर और इंद्राणी मुखर्जी को भी जमानत मिली हैं। जांच एजेंसी ने चिदंबरम से कुल 12 सवाल पूछे, जिनमें छह के जवाब वह पूर्व में दे चुके हैं। पूछताछ करने वालों को यही नहीं पता कि उन्हें प्रश्न क्या पूछना है। बुधवार रात गिरफ्तारी के बावजूद चिदंबरम से गुरुवार 11 बजे तक पूछताछ नहीं की गई। विदेशी निवेश की मंजूरी सरकार के जिन छह सचिवों ने दी थी, उनमें से किसी को भी नहीं पकड़ा गया। मामले की जांच खत्म हो चुकी है। जज ने सात माह तक आदेश नहीं दिया तो चिदंबरम कैसे सुरक्षित छाते तले हो गए? एफआइआर में उनका नाम नही है। चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। अगर चिदंबरम के पास कुछ दस्तावेज हैं, तो क्या एजेंसी ने कोई पत्र लिखा?

पूर्वमंत्री बोले, सीबीआइ ने मुझे एक ही बार बुलाया

पी. चिदंबरम ने कहा कि मुझे सीबीआइ ने एक ही बार बुलाया, 6 जून 2018 को। मुझसे पूछा गया कि क्या मेरा विदेशी खाता है? मैंने जवाब दिया कि मेरा कोई विदेशी खाता नहीं है। सीबीआइ ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे बेटे का विदेशी खाता है? मैंने जवाब दिया कि बेटे कार्ति का खाता है।

चिदंबरम वह जवाब नहीं दे सकते जो सीबीआइ चाहती है

अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, सीबीआइ का पूरा मामला इंद्राणी के बयान पर आधारित है, जो मामले में सरकारी गवाह बन चुकी हैं। गवाह सिर्फ एक पद है, कोई सुबूत नहीं है। चिदंबरम वह जवाब नहीं दे सकते जो सीबीआइ चाहती है। असहयोग, सुबूत से छेड़छाड़ और देश से भागने जैसा कोई खतरा नहीं है।

यह है पूरा मामला

आइएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआइ ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि पी. चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को दी गई एफआइपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुईं। इसके बाद ईडी ने गत वर्ष इस संबंध में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था। सीबीआइ और ईडी केस में जांच कर रही हैं कि कैसे चिदंबरम के बेटे कार्ति को 2007 में एफआइपीबी से आइएनएक्स मीडिया के लिए मंजूरी मिली। जांच में पता चला कि एफआइपीबी से मंजूरी दिलाने के लिए आइएनएक्स मीडिया के निदेशक पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने पी. चिदंबरम से भेंट की थी ताकि मंजूरी में कोई देरी न हो। इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी अब सरकारी गवाह बन चुकी हैं।

सरोकार

फ्लोराइड लेवल की जांच अब चुटकियों में

दुर्गापुर : सीएमईआरआइ के वैज्ञानिकों ने सस्ती-कारगर फ्लोराइड डिटेक्शन किट विकसित की है। इससे शरीर में फ्लोराइड की मात्रा जांचना आसान होगा और खर्च होंगे सिर्फ 10 रुपये। फ्लोराइडयुक्त पानी वाले क्षेत्रों के लिए इसे उपयोगी माना जा रहा है। (पेज-10)

जागरण विशेष

पूर्वांचल के कालीन उद्योग को पैट यार्न ने दिए नए पंख

भदोही : पश्चिमी देशों में प्लास्टिक के धागों (पैट यान) से तैयार कालीन की मांग बढ़ी है। पानीपत और बीकानेर के बाद अब उत्तर प्रदेश के भदोही, मीरजापुर, बनारस के कारोबारी भी पैट यार्न से बने कालीन निर्यात करने लगे हैं। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

अगर वहां कब्जा हिंदुओं को दिया जाता है तो ऐतराज नहीं

नई दिल्ली : अयोध्या राम जन्मभूमि में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। 1934 में दंगा हुआ तब से वहां नमाज पढ़ना बंद है। हिंदू वहां पूजा करते थे। अगर कब्जा हिंदुओं को दे दिया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं। ये बातें कुछ मुसलमानों ने 1950 में फैजाबाद की अदालत में हलफनामा दाखिल कर कहीं थीं।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

छत्तीसगढ़ में पांच इनामी नक्सलियों ने किया समर्पण

जगदलपुर : पुलिस के बढ़ते दबाव और नक्सली लीडर की तानाशाही के चलते बस्तर संभाग में पांच इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें सुकमा में पांच लाख का इनामी नक्सली मेहतर कोर्राम उर्फ रोंडा ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के बीच पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

जन्मजात नागरिकता के अधिकार को खत्म करने की तैयारी में ट्रंप

वाशिंगटन : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता के अधिकार को खत्म करने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा है कि वह अमेरिका में जन्में उन बच्चों के नागरिकता अधिकार खत्म करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं, जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हैं। अगर यह अधिकार समाप्त होता है तो इससे बड़ी संख्या में भारतीय भी प्रभावित होंगे।

कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में शरद पवार के खिलाफ एफआइआर के आदेश

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- 1000 करोड़ रुपये के इस घोटाले में बांबे हाई कोर्ट ने दिया आदेश
- भतीजे अजित पवार और 70 अन्य के खिलाफ भी दर्ज होगा केस

महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (एमएससीबी) घोटाले में बांबे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को राकांपा प्रमुख शरद पवार, उनके भतीजे व पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और 70 अन्य के खिलाफ पांच दिन के भीतर एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में पहली नजर में उनके खिलाफ विश्वसनीय सुबूत हैं।

जस्टिस एससी धर्माधिकारी और एसके शिंदे की पीठ ने गुरुवार यह आदेश दिए। शरद पवार और अजित पवार के अलावा इस मामले के आरोपितों में राकांपा नेता जयंत पाटिल, कई अन्य राजनेता, सरकारी अधिकारी और राज्य के 34 जिलों के कोऑपरेटिव बैंक के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सभी आरोपित 2007 से 2011 के बीच एमएससीबी को कथित रूप से 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने में शामिल थे। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा कराए गए निरीक्षण और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसायटीज एक्ट के तहत अर्धन्यायिक जांच आयोग द्वारा दाखिल आरोपपत्र में शरद पवार, अजित और बैंक के कई निदेशकों को दोषी ठहराया गया था। इसमें कहा गया था कि उनके फैसलों, कार्यों और लापरवाही की वजह से बैंक को यह नुकसान उठाना पड़ा। नाबार्ड की ऑडिट रिपोर्ट में यह तथ्य भी उजागर हुआ था कि आरोपितों ने चीनी और कताई मिलों को कर्ज बांटने, कर्जे नहीं चुकाए जाने और कर्जों की वसूली में कई बैंकिंग कानूनों व रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया। खास बात यह है कि उस दौरान अजित पवार बैंक के निदेशक थे।

निरीक्षण रिपोर्ट के बावजूद इस मामले में कोई एफआइआर दर्ज नहीं की गई थी। स्थानीय आरटीआइ कार्यकर्ता सुरेंद्र अरोड़ा ने 2015 में आर्थिक अपराध शाखा में एक शिकायत दर्ज कराई थी और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआइआर दर्ज किए जाने की मांग की थी।

शरद पवार फाइल फोटो

निजी क्षेत्र के कर्मी पेंशन के बदले ले सकेंगे एकमुश्त रकम

नई दिल्ली : निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की एक-तिहाई रकम एकमुश्त निकालने की सुविधा फिर से मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सेंट्रल ट्रस्टी बोर्ड ने पेंशन स्कीम के सदस्यों को सेवानिवृत्ति के वक्त तिहाई पेंशन के एवज में एकमुश्त रकम लेने का विकल्प फिर से देने का निर्णय लिया है। इससे सवा छह लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में गत दिवस हुई ईपीएफओ के बोर्ड की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें से एक निर्णय ईपीएस में कम्यूटेशन अर्थात पेंशन की आंशिक रकम एकमुश्त लेने का विकल्प बहाली के लिए ईपीएस-95 में संशोधन करने का है। (पेज-12)

मप्र से पकड़े गए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के पांच एजेंट

भोपाल : मध्य प्रदेश पुलिस ने सतना जिले से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के पांच एजेंटों को पकड़ा है। ऑनलाइन ठगी के जरिये 'टेरर फंडिंग' और जासूसी के मामले में जहां सुनील सिंह, बलराम सिंह और शुभम मिश्रा को गिरफ्तार कर भोपाल लाया गया है, वहीं भारवेंद्र सिंह और प्रदीप कुशवाहा सतना पुलिस की हिरासत में हैं। सूत्रों ने बताया कि पकड़े गए लोगों ने कई राज्यों में जाल फैला रखा है। आरोपितों के फोन में 17 पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। इन लोगों ने पाकिस्तानी एजेंटों को बैंक खाते, एटीएम कार्ड की जानकारियों के साथ धनराशि भेजी थी। साथ ही युद्ध की स्थिति में सामरिक महत्व की जानकारियां एकत्रित कर रहे थे। पाकिस्तानी हैंडलरों से मिलकर ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। (पेज-6)

कश्मीर पर भारत को मिला फ्रांस का साथ

जागरण ब्यूरो नई दिल्ली

- मैक्रों ने कहा, कश्मीर द्विपक्षीय मसला, बातचीत से सुलझाएं
- मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस का साथ सराहनीय

कश्मीर मुद्दे को लेकर फ्रांस खुलकर भारत के साथ आ गया है। कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत और पाकिस्तान से इसे बातचीत के जरिये सुलझाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती सदियों पुरानी है।

तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी और मैक्रों की पेरिस से करीब 50 किलोमीटर दूर फ्रांस की सांस्कृतिक विरासत में शुमार चेटेउ डी चंतिलि में मुलाकात हुई। लगभग डेढ़ घंटे की बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती देने वाले द्विपक्षीय और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। उसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर की बातचीत भी हुई।

इसके बाद दोनों ने साझा प्रेस कांफ्रेंस की। मोदी ने कहा कि समूह-7 को भारत का पूरा सहयोग है। भारत और फ्रांस की दोस्ती किसी स्वार्थ पर नहीं टिकी है। उन्होंने कहा कि जैवविविधता के लिए भारत सदियों से प्रतिबद्ध है। भारत और फ्रांस के बीच सौर गठबंधन अहम है। पीएम ने बताया कि फ्रांस 36 राफेल लड़ाकू विमानों में से पहला विमान अगले महीने सौंपेगा। उन्होंने कहा कि पांच ट्रिलियन इकोनामी हमारा मुख्य लक्ष्य है। भारत में फ्रांसीसी उद्यमियों के लिए निवेश का बहुत सुनहरा मौका है। दोनों देशों ने तकनीकी और सह उत्पादन के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है दोनों देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में भी इजाफा हो रहा है। मोदी बोले, आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस का सहयोग मिला। वहीं, राष्ट्रपति मैक्रों ने अपने संबोधन में पुलवामा हमले की निंदा करते हुए दोहराया कि कश्मीर भारत-पाक के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है। दोनों देशों को बातचीत के जरिये मतभेदों को दूर करना चाहिए। मैक्रों ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को भारत का आंतरिक मामला बताया। साथ ही चंद्रयान मिशन के लिए उन्होंने मोदी को बधाई दी।

इससे पहले पेरिस पहुंचने पर हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। विदेश मंत्री जीन वेस ली ड्रायन ने उनकी आगवानी की। मोदी यहां प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे और फ्रांस में 1950 व 1960 के दशक में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले दो भारतीय विमानों की याद में स्मारक का उद्घाटन करेंगे। शुक्रवार को वह फ्रांस के प्रधानमंत्री एडुवर्ड फिलिप से मिलेंगे। मोदी शुक्रवार को फ्रांस से यूएई और बहरीन की यात्रा पर जाएंगे। रविवार को वह फिर फ्रांस के शहर बियारित्ज लौटेंगे और समूह-7 की बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत वैसे तो समूह-7 देशों का सदस्य नहीं है लेकिन फ्रांस ने विशेष तौर पर भारत समेत कुछ और देशों को आमंत्रित किया है। सोमवार को उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। दोनों के बीच कश्मीर मुद्दे पर बातचीत लगभग तय है। इस मुलाकात की पहले से कोई तैयारी नहीं थी लेकिन कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के बाद इस मुलाकात की तिथि तय की गई। ट्रंप ने मंगलवार को कश्मीर को लेकर काफी चिंता जताने के साथ यह भी कहा था कि वह मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। मोदी ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से भी मिल सकते हैं।

फ्रांस से पीएम मोदी शुक्रवार की शाम यूएई रवाना होंगे। भारत से रवाना होने से पहले उन्होंने ट्वीट किया था, 'यूएई में क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान के साथ बहुत ही अहम बैठक होने वाली है। दोनों मिल कर महात्मा गांधी की 150 वें जन्म दिवस पर एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। वहां रू पे कार्ड भी लांच किया जाएगा।' यूएई में मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'जायद मेडल' से भी नवाजा जाएगा। बहरीन यात्रा के बारे में पीएम ने लिखा था कि यह किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा होगी। बहरीन में मोदी प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। वह भगवान श्रीनाथ जी के प्राचीन मंदिर के नए सिरे से विकास से जुड़ी योजना का भी शुभारंभ करेंगे।

पेरिस पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गले मिलकर स्वागत करते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। रायटर

सोनिया गांधी बोलीं, बहुमत की ताकत के सहारे देश में डर का माहौल

पेज>>4

इंद्राणी के मुताबिक, चिदंबरम ने कार्ति के कारोबार में मदद करने को कहा था

पेज>>4

कश्मीरी बोले

घाटी को मिली अलगाववादियों की हड़तालों और बंद के फरमानों से आजादी, अलगाववादियों के उकसावे और फतवों पर कान नहीं दे रहे आम लोग, कई बार प्रदर्शन और मार्च के लिए बुलाया, लेकिन कोई नहीं पहुंचा

अलगाववादियों की दुकान पर ताला लगा चाबी झेलम में फेंक दो

नवीन नवाज, श्रीनगर

कश्मीर में बदलाव की बयार के बीच अब अलगाववादियों की धमकियों और फतवों के खिलाफ भी लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। कल तक उनके इशारे पर सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ती थी, लेकिन अब उनके फरमानों पर आम कश्मीरी कान ही नहीं दे रहे हैं। न ही कोई उनके हड़ताली कैलेंडर का जिक्र करना ही पसंद नहीं करता है। लोगों का कहना है कि दिल्ली को इनकी दुकान पर ताला लगाकर चाबी झेलम में फेंक देनी चाहिए। इसके बाद ही वादी में हमेशा के लिए अमन बहाल हो पाएगा।

अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद पिछले एक पखवाड़े में पूरी वादी में माहौल तेजी से बदला है। पाबंदियों में ढिलाई देने के बाद सामान्य जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। ऐसे में हताश अलगाववादी विभिन्न माध्यमों से लोगों को उकसाने का कोई मौका नहीं चूक रहे। पोस्टर के माध्यम से धमकियां दी जा रही हैं और अराजक तत्वों के सहारे खुली दुकानों और वाहनों पर पथराव कराने की साजिश रची जा रही है, लेकिन आम कश्मीरी अब उनके फरमान मानने से इन्कार कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग तो खुद सुरक्षाबलों से इन लोगों की शिकायत भी कर रहे हैं।

विफल हो चुकी हैं माहौल बिगाड़ने की कई साजिश : श्रीनगर के सौरा इलाके में बुधवार को हुर्रियत समेत कई अलगाववादी संगठनों के साझा संगठन जेआरएल (ज्वॉइंट रजिस्टेंस लीडरशिप) ने कुछ पोस्टर चस्पा कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। इन पोस्टरों में मार्च निकालने का आह्वान किया था। इससे पूर्व आठ अगस्त को राजबाग इलाके में जेआरएल और एक अन्य संगठन ने हड़ताली कैलेंडर के पोस्टर चिपकाकर प्रदर्शनों के लिए उकसाने का प्रयास किया था। वहीं, ईद से दो दिन पहले भी डाउन-टाउन और बटमालू में कुछ आपत्तिजनक पोस्टर मिले, लेकिन लोगों ने उनकी तमाम साजिशों की हवा निकाल दी और कोई भी प्रदर्शन करने ही नहीं पहुंचा।

इन्हीं पोस्टर वालों ने तबाह किया : सौरा में इशितयाक अहमद नामक एक बुजुर्ग ने कहा, इन पोस्टर वालों ने ही तो हमें तबाह किया है। सिर्फ मीडिया वाले ही इन्हें उछालते थे और इन पोस्टरों पर अमल के लिए डर पैदा करते थे। इनका जिक्र न करो तो ही बेहतर। अगर लोग इनके साथ होते तो आपको पूरे शहर में इस समय जुलूस नजर आते।

उनकी दुकान बंद होगी तभी हमारी खुलेगी : बटमालू स्थित सब्जी मंडी में अपनी दुकान का शटर उठा रहे युसुफ से जब हुर्रियत और जेआरएल पर बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी दुकान अब बंद हो रही है, उसे खुलने का मौका मत दो मेरे भाई। नहीं तो मेरी दुकान का शटर कब उठेगा, यह कोई नहीं बता पाएगा। यहां सभी लोग रोज रोज के बंद और हड़ताल से तंग आ चुके हैं।

जल्द जमीन पर दिखेंगे बदलाव : कश्मीर मामलों के जानकार एजाज अहमद ने कहा कि अभी आपको असर शायद कम नजर आए, लेकिन चार से छह महीने बाद आप खुद यहां जमीन पर बदलाव को प्रत्यक्ष रूप से महसूस करेंगे। यह कोई छोटी बात नहीं कि शरारती तत्वों के हंगामें के बावजूद कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें खुली रखी हैं। सड़कों पर वाहन भी चल रहे हैं।

कश्मीर में अधिकांश क्षेत्रों में प्रतिबंध में ढील पेज>>5

कश्मीर में जिंदगी धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है। श्रीनगर में दौड़ते वाहन इसे साबित कर रहे हैं। जागरण

लोगों ने लगाई पोस्टर गैंग से बचाने की गुहार

राजबाग में तैनात एक अधिकारी ने कहा कि कुछ दिन पहले कुछ स्थानीय लोग ही पोस्टर लेकर हमारे पास पहुंचे और ऐसे लोगों से बचाने की गुहार भी लगाई। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी, क्योंकि इससे पहले इस तरह के पोस्टर तक हटाने में हमें खासी मशक्कत करनी पड़ती थी।

गाजियाबाद में सीवर लाइन में उतरे पांच मजदूरों की दम घुटने से मौत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

- प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मजदूरों के पास नहीं थे सुरक्षा उपकरण

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक मकान के सामने बने सीवर चैंबर को मेन लाइन से जोड़ने के दौरान दम घुटने से पांच मजदूरों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मजदूरों के पास सुरक्षा उपकरण नहीं थे।

गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के कृष्णकुंज इलाके में जल निगम व कार्यदायी एजेंसी ईएमएस इंफ्राकॉन की ओर से सीवर लाइन डालने का काम कराया जा रहा है। गुरुवार को एक घर के सामने बने चैंबर को मुख्य सीवर लाइन से जोड़ने के लिए एक मजदूर ने जैसे ही चैंबर का ढक्कन खोला, वह उसमें गिर गया और बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए एक-एक कर चैंबर में अन्य मजदूर उतरने लगे। पांच मजदूर अंदर पहुंचे तो वे भी बेहोश हो गए। घर के मालिक राजवीर के शोर मचाने पर भीड़ एकत्र हो गई। इसके बाद मॉस्क लगाकर मजदूर जितेंद्र व साजिद मेनहोल में उतरे और सभी को बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस बेहोश मजदूरों को सेंट जोसफ अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सभी मजदूर बिहार के समस्तीपुर जिले के निवासी थे और पास में ही झुग्गी में रहते थे। उन्होंने बताया कि मामले में दोषी एजेंसियों या दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना में जान गंवाने वाले मजदूरों के पास सुरक्षा उपकरण नहीं थे। जिस चैंबर में वे उतरे थे, करीब 13 फीट गहरा था। ज्ञात हो, इंसान को सीवर में उतार सफाई कराने पर सुप्रीम कोर्ट प्रतिबंध लगा चुका है। बीते मई माह में ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख जस्टिस एचएल दत्तू ने टिप्पणी की थी कि सीवेज की सफाई के दौरान लोगों की मौत समाज के लिए अभिशाप है। 'सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव न होना दर्शाता है कि कानून ठीक तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है।'